संख्या-03/2016/1584/22-4-15-48(19)/01 टीसी-1

प्रेषक,

आर0के0 द्विवेदी,
विशेष कार्याधिकारी,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग 4 लखनऊ दिनांक- 18 जनवरी, 2016

विषय- निर्माणाधीन डा0 सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ के परिसर में कारागार मुख्यालय के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-50315/नम-4/मु0नि0-।।, दिनांक- 30 दिसम्बर, 2015 के संदर्भ तथा शासनादेश संख्या-72/2015/64/22-4-15-48(19)/2001, दिनांक-24 मार्च, 2015, के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निर्माणाधीन डा0 सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ के परिसर में कारागार मुख्यालय के निर्माण हेतु वॉछित रू0 43,56,85,000(रूपया तैंतालिस करोड़ छप्पन लाख पच्चासी हजार मात्र) के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रथम किश्त के रूप में रू0 5,00,00,000/-(रूपया पॉच करोड़ मात्र) की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। उक्त निर्माण कार्य हेतु अवशेष रू0 38,56,85,000/-(रूपया अड़तीस करोड़ छप्पन लाख पच्चासी हजार मात्र) के सापेक्ष महानिरीक्षक कारागार के प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 26,00,00,000/-(रूपया छब्बीस करोड़ मात्र) की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय प्रदान करते हैं।

2- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-07-कारागार मुख्यालय के भवन का निर्माण कार्य-24-वृहत निर्माण कार्य" मद के नामे डाला जायेगा और उक्त लेखाशीर्षक/मद में उपलब्ध प्रावधान से वहन किया जायेगा।

3- शासनादेश दिनांक 24 मार्च, 2015 की शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक- 30.03.2015 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0के0 द्विवेदी)
विशेष कार्याधिकारी।

संख्या-03/2016/1584(1)/22-4-15-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
(4) जिलाधिकारी, लखनऊ।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0 द्विवेदी)
विशेष कार्याधिकारी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in